न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सीन अधिकारी:—गौरव कुमार मित्तल (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
8 / 2024	05.12.2024	28/1/2026

प्रसादी पत्नी मोतीलाल मीना उम्र 60 वर्ष

मनराज पुत्र मोतीलाल मीना उम्र 35 वर्ष

राकेश पुत्र मोतीलाल मीना उम्र 33 वर्ष निवासीयान फुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थीगण

बनाम

. भोला पुत्र धूलीलाल जाट उम्र 36 वर्ष

. शंकर पुत्र धूलीलाल जाट उम्र 34 वर्ष निवासीयान फूसोदा तहसील व जि सवाई माधोपुर।

. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 सह पठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित:—

1. श्री राधेश्याम वैष्णव एड0 प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सत्येंद्र कुमार गोयल एड0 अप्रार्थी की ओर से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 पेश किया सका विवरण इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र आज ही श्रीमान जी क यालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता प्राप्ति की पूरी—पूरी संभावना है। प्रार्थीगण म फुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुरके स्थायी निवासी है तथा गरीब काश्तकार शा व्यक्ति है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम फुसोदा में स्थित है सके नया खाता संख्या 428 के ख0नं 0413 रकबा 1.1000 है0 चाही 3 व खाता संख्या 31 के ख0न0 414 रकबा 0.2100 है० चाही 3 है जो वादी संख्या 1 की खातेदारी तथा ख0न0 383 रकबा 0.2600 है0 चाही 3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। जो पूर्वजों के समय से ही लगभग 50 वर्ष पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है। आज भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है एवं काश्त करते आ रहे तथा उक्त कब्जे शुदा भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा नही इनका कोई वास्ता हैं । प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात पर गेहूं की फसल काश्तकर रखी है तथा तारो से बाड व तारफेंसिग कर रखी है तथा कब्जे शुदा भूमि कभी भी किसी प्रकार का कच्चा या पक्का रास्ता नही रहा है और आज भी उक्त

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जीयात पर कोई रास्ता नही हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में
र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कभी भी आने जाने का रास्ता नही रहा बल्कि अप्रार्थी
ा 1 व 2 का शुरू से ही दूसरी ओर से रास्ता आने जाने का रहा है। परन्तु प्रार्थीगण
हैरान परेशान करने के उद्देश्य से तथा जबरन अपने लठ्ठ के बल पर प्रार्थीगण की
दारी भूमि खसरा नं0 413 व 414 तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0
में पूर्व से बनी हुई चार दीवारी बाड को तोडकर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा
प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 383 रकबा 0.2600 हे0 परप्रार्थीगण के पूर्वजो से ही लगातार
ा काश्त चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण ख0न0 383 को खातेदार घोषित करवाकर
स्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के वैधानिक अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व इनके
ार के सदस्य हाथों में लाठी डण्डे व ट्रेक्टर लेकर दिनांक 29.11.2024 को एकराय
र प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि परबनी हुई बाड को तोडकर जबरन
ा निकालने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से
न्द किया जावें कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मेंसे किसी भी प्रकार
मिजाहमत पैदा ना तो स्वयं करें और नाही किसी अन्य व्यक्ति से करावें । प्रार्थीगण को
वैधानिक अधिकार है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का काश्तकार खातेदार होने के
रण श्रीमान् के न्यायालय से कब्जे शुदा भूमि को खातेदार घोषित करवाये तथा मौके व
जस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में से अघोषित रास्ता निकालने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को
न्द करावें । अप्रार्थी संख्या 3 भूमि का स्वामी होने से तहसीलदार सवाई माधोपुर को
वश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। उक्त भूमि स्थित ग्राम फूसोदा तहसील व जिला सवाई
धोपुर प्रार्थीगण के निवास स्थान होने से श्रीमान् के न्यायालय को सुनवाई का
ेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा212 आर0टी0 एक्ट
ा शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि नया खाता संख्या 428
खसरा नम्बर 413 रकबा 1.1000 हे0 चाही 3 व खाता संख्या 431 के खसरा नम्बर 414
बा 0.2100 हे० चाही 3 व ख0न0 383 रकबा 0.2600 हे० भूमि वाके ग्राम फूसोदा तहसील
जिला सवाईमाधोपुर की खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता निकालने पर अप्रार्थी संख्या 1
ायत 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें व प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि
र किसी प्रकार का उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें न ही किसी अन्य व्यक्ति से
रावें। ना ही उक्त भूमि में से होकर कोई रास्ता नही निकाले ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस
तलबी की गयी। अप्रार्थीगण जरिये वकील इस न्यायालय में उपस्थित हुऐ तथा प्रार्थी के
ार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र में अंकित मदो को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण में बताया है कि खसरा
नम्बर 383 रकबा 0.26 हैक्टर से वादीगण का खातेदारी व कब्जे से संबंधित किसी प्रकार
का कोई संबंध व तालुक नही है। उक्त खसरा नम्बर 383 सरकारी भुमि है जिसमे होकर
प्रतिवादीगण के खेतो पर वादीगण के खेतो पर जाने के लिय रास्ता बना हुआ है। जिसे
वादीगण ने तारबंदी कर रोकने का प्रयास किया इस पर प्रतिवादीगण ने रास्ता खुलासा
कराने हेतु कार्यवाही की जिस पर तहसीलदार सवाई माधोपुर व कलेक्टर सवाई माधोपुर
द्वारा रास्ता खुलासा करने हेतु टीम गठित की सरकार द्वारा गठित टीम खसरा नम्बर 383 मे
स्थित रास्ते को खुलासा नही करा सके इसी उददेश्य से वादीगण ने दावा व दर पेश की
है। खसरा नम्बर 383 सरकारी भुमि है यही नही 72 बीघा चरागाह भूमि है। जिस पर
वादीगण श्रीमान के कार्यालय मे स्थित कर्मचारी भगवान मीना के सहयोग से अतिक्रमण
करने का दुस्हास कर रहे है।। खसरा नम्बर 383 मे रास्ता बना हुआ है। जिसकी फोटो पेश
की जा रही है जिसको रोकने का वादीगण को कोई अधिकार नही है । सरकारी भूमि के
संबंध मे घोषणा चाही है बिना धारा 80 सी पी सी केतहत नोटिस दिये दावा वादीगण
काबिले खारिज है। प्रतिवादीगण खातेदारी की भूमि की आड मे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ा चाहता है। जिसका वादीगण को कोई अधिकार नही है। अतः जबाव दावा पेश कर
ै है कि दावा वादीगण मय खर्चा खरिज फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सूनी। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के
ार बहस करते हुऐ बताया है कि प्रार्थीगण ग्राम फुसोदा तहसील व जिला सवाई
पुरके स्थायी निवासी है तथा गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण की खातेदारी
कब्जे काश्त की भूमि ग्राम फुसोदा में स्थित है जिसके नया खाता संख्या 428 के ख0नं
3 रकबा 1.1000 है0 चाही 3 व खाता संख्या 431 के ख0न0 414 रकबा 0.2100 हे०
ी 3 है जो वादी संख्या 1 की खातेदारी तथा ख0न0 383 रकबा 0.2600 है0 चाही 3
ीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। जो पूर्वजों के समय से ही लगभग 50 वर्ष पूर्व से
त करते चले आ रहे है। आज भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है एवं काश्त करते आ रहे
उक्त कब्जे शुदा भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा नही
का कोई वास्ता हैं । प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात पर गेहूं की फसल काश्तकर रखी है
तारो से बाड व तारफेंसिंग कर रखी है तथा कब्जे शुदा भूमि कभी भी किसी प्रकार
कच्चा या पक्का रास्ता नही रहा है और आज भी उक्त आराजीयात पर कोई रास्ता नही
प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का
ी भी आने जाने का रास्ता नही रहा बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शुरु से ही दूसरी
से रास्ता आने जाने का रहा है। परन्तु प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से
ा जबरन अपने लठ्ठ के बल पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 413 व 414
ा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 383 में पूर्व से बनी हुई चार दीवारी बाड
तोडकर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा हैं। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान पर
ल खडी हुयी है। यदि अप्रार्थीगण जबरन रास्ता निकालते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय
ति होगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस
रते हुऐ बताया है कि प्रार्थीगण ने रास्ते व चरागाह तथा सरकारी भुमि पर कब्जा करने
लिए एक गिरोह बना रखा है। खसरा नम्बर 383 रकबा 0.26 है0 प्रार्थीगण के कब्जे की
मि नही है। बल्कि खसरा नम्बर 383 रकबा 0.26 है सरकारी चारागाह की भुमि है। जिस
होकर प्रतिवादीगण की खातेदारी के खेतो पर जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। जिसे
ादीगण ने रोककर रास्ते पर कब्जा करने का प्रयास किया है। खसरा नम्बर 383 रकबा 0.
6 है से वादीगण का कभी कोई संबंध नही रहा है खसरा नम्बर 383 मे स्थित रास्ते
रकारी भूमि को जबरन वादीगण ने रोका जिसे खुलासा कराने हेतु तहसीलदार द्वारा टीम
ठित कर रखी है। प्रतिवादीगण की भूमि पर जाने हेतु सर्वदा से रास्ता खसरा नम्बर 383
होकर रहा है वादीगण ने सर्वदा से रहे रास्ते को रोकने का प्रयास किया इस पर
तिवादीगण ने रास्ता खुलासा करने हेतु कार्यवाही की जिस पर आदेश होने पर वादीगण
अपने अतिक्रमण को बचाने हेतु दावा पेश किया है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 383 मे
स्थित रास्ते को रोकने पर रास्ता खुलासा करने की कार्यवाही की उससे बचने के लिए
असत्य वाद कारण दर्शाने का प्रयास किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज
फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड
का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम
फुसोदा में स्थित है जिसके नया खाता संख्या 428 के ख0नं 413 रकबा 1.1000 है0 चाही 3
व खाता संख्या 431 के ख0न0 414 रकबा 0.2100 हे० चाही 3 है जो प्रार्थीगण की
खातेदारी भूमि है। ख0न0 383 रकबा 0.2600 है0 चाही 3 सिवायचक ग्राम फूसोदा में स्थित
है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर जबरन रास्ता निकालने तथा कब्जा नही करने बाबत यह
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार सवाई माधोपुर के पत्र
क्रमांक सतर्कता / 2025 / 1302 दिनांक 25.09.2025 के बिन्दु संख्या 6 का अवलोकन किया
जिसमें अंकित है कि अप्रार्थीगण सिवायचक खसरा नम्बर 383 मे से रास्ता चाहते है तथा

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भी रास्ता राजस्व रिकार्ड में वर्तमान मे दर्ज नही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि र्थीगण जबरन प्रार्थीगण एवं सरकारी भूमि पर रास्ता निकालना चाहता है। अतः गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– क्रियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को वाद पत्र निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द ा जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम फुसोदा में स्थित जिसके नया खाता संख्या 428 के ख0नं 413 रकबा 1.1000 है0 चाही 3 व खाता संख्या के ख0न0 414 रकबा 0.2100 हे० चाही 3 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग ोग में बाधा उत्पन्न नही करे ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे। राजस्व ग्राम फुसोदा खसरा नम्बर 383 रकबा 0.26 है0 जो राजकीय सिवायचक भूमि है। उस पर से जबरन ा या रास्ता नही निकाले। निर्णय आज दिनांक 28/1/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की कर मूल वाद पत्र के साथ हमशीता की जावें।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर